



RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LTD.

(A Govt. of Rajasthan Undertaking)

E-166, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur

CIN No.U40101RJ1995SGC009847

Tel:2225859 / 2229341 / 2223966 & 223965 Fax:0141-2226028

Email: rrec2016@gmail.com; rrec_jai@yahoo.co.in; Website : **www.energy.rajasthan.gov.in\rrec1**

NOTICE INVITING BIDS

Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited Requires services from eligible Service Provider firms for Computer Literate Clerks, Junior Clerks and Class-IV through Placement Agency for Office work bids may be submitted by 3:00 PM of 13.01.2022 in the office of RRECL. For more details visit: – **www.energy.rajasthan.gov.in /rrec1 & www.sppp.rajasthan.gov.in**

Director Technical



राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

CIN No. U40101RJ1995SGC009847

Tel: 2225859 / 2229341 / 2223966/2223965 Fax: 0141- 2226028

Email: rrec2016@gmail.com; rrec_jai@yahoo.co.in; Website : [www.energy.rajasthan.gov.in\rrecl](http://www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl)

क्रमांक : प.1(120)मैनपावर/संस्था/आरआरईसी/

दिनांक :

निविदा सूचना

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में कार्य आधार पर कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क, जूनियर क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु दर अनुबन्ध पर सेवाएँ सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने हेतु पंजीकृत, आईएसओ प्रमाणित एवं अनुभवी सेवाप्रदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में दर संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट [www.energy.rajasthan.gov.in\rrecl](http://www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl) एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> वेबसाईट पर देखे एवं Download किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र निगम कार्यालय से दिनांक 04.01.2022.प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 13.01.2022 दोपहर 3.00 बजे तक निविदा शुल्क रूपये 1180/- का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम , जयपुर के नाम जयपुर शाखा मे देय जमा करा के प्राप्त किए एवं जमा कराए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल से Download की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा शुल्क रूपये 1180/-(रु1000/+18 प्रतिशत जीएसटी) का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ,जयपुर के नाम जयपुर शाखा मे देय तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य विवरण एवं नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।

निदेशक (तकनीकी)



राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

CIN No. U40101RJ1995SGC009847

Tel: 2225859 / 2229341 / 2223966/2223965 Fax: 0141- 2226028

Email: rrec2016@gmail.com; rrec_jai@yahoo.co.in; Website : www.energy.rajasthan.gov.in/rrec1

क्रमांक : प.1(120)मैनपावर/संस्था/आरआरईसी/

दिनांक :

निविदा सूचना

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में कार्य आधार पर कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु दर अनुबन्ध पर सेवाएँ सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने हेतु पंजीकृत, आईएसओ प्रमाणित एवं अनुभवी सेवाप्रदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में दर संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.energy.rajasthan.gov.in/rrec1 एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> वेबसाईट पर देखे एवं Download किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र निगम कार्यालय से दिनांक **04.01.2022** प्रातः 10.00 बजे से दिनांक **13.01.2022 दोपहर 3:00** बजे तक निविदा शुल्क रूपये 1180/- का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के नाम जयपुर शाखा मे देय जमा करा के प्राप्त किए एवं जमा कराए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल से Download की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा शुल्क रूपये 1180/- (रु1000/+18 प्रतिशत जीएसटी) का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के नाम जयपुर शाखा मे देय तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य विवरण एवं नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।

1.	निविदा की अनुमानित लागत (1वर्ष के लिए)	15.00 लाख लगभग
2.	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	Undertaking on Stamp paper of Rs.50/-as per annexure-C
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क	1180/-
4.	निगम कार्यालय में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रस्तुत करने की तिथि व समय	04.01.2022 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 13.01.2022 दोपहर 3.00 बजे तक
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 13.01.2022 को सायः 5.00 बजे
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं को अलग से सूचित कर दिया जावेगा।
7.	अनुबन्ध की अवधि	मूल अनुबन्ध अवधि 02 वर्ष के लिए होगी तथापि आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 29 एवं 73 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
8.	बोली वैधता अवधि	90 दिवस (आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है।)

यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक का अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।

निदेशक (तकनीकी)
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम,
जयपुर।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में कार्य आधार पर कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु दर अनुबन्ध पर सेवाएँ सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने हेतु पंजीकृत, आईएसओ प्रमाणित एवं अनुभवी सेवाप्रदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में दर संविदा हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :

निविदादाता फर्म का नाम	
अधिकृत व्यक्ति का नाम जिससे सम्पर्क किया जा सके (प्राधिकृत निविदा हस्ताक्षरी)	
पत्राचार का पता :	
मोबाइल नम्बर	
टेलीफोन एवं फैक्स नम्बर	
वेबसाइट एवं ई-मेल (ई-मेल आवश्यक)	

निविदा संबंधित सामान्य शर्तें :-

1. यह निविदा द्वि-प्रकामी (Two Stage) निविदा के रूप में आमंत्रित की गई है।

(1)तकनीकी निविदा : बिड सिक्यूरिटी डिक्लेरेशन रु 50/-के स्टाम्प पेपर पर Annexure-C , निविदा शुल्क का बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा यदि निगम कार्यालय से क्रम की गई हो तो क्रय करने की रसीद, (यदि निविदा प्रपत्र Download किया गया हो।) इसके अभाव में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वॉछित दस्तावेज।

(2)वित्तीय निविदा : आवेदक के लेटर हैड पर ANNEXURE-B में सिर्फ सेवा शुल्क की दर प्रस्तुत की जाये जो कि किसी भी स्थिति में शून्य या ऋणात्मक न हो।

तकनीकी प्रस्ताव व वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक लिफाफे में होंगे जो कि एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत की जाये जो निदेशक (तकनीकी) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर के नाम सम्बोधित हो तथा शीर्षक के रूप में ' राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क, जूनियर क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु दर संविदा प्रस्ताव अंकित हो।

2. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समिति निविदादाता के व्यवसायिक ठिकाने एवं अन्य समुचित स्थानों पर जाकर भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

3. तकनीकी निविदा प्रपत्र की जाँच हेतु वॉछित सूचनाएँ/दस्तावेज तकनीकी निविदा के मूल्यांकन की अनिवार्य शर्तें हैं। जिनके आधार पर निविदादाता पंजीकृत संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जायेगा।

4. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी।

5. निदेशक (तकनीकी) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर को किसी भी निविदा को (न्यूनतम दर वाली निविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकारी होगा।

6. सफल निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के तुरन्त पश्चात 3 दिवस में कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।

7. निविदा प्रपत्र/प्रस्ताव विभाग में दिनांक **04.01.2022** प्रातः 10.00 बजे से दिनांक **13.01.2022** दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त कर जमा कराये जा सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

8. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील हैं। अतः उक्त निविदा में उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील हैं।
9. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 64 के तहत निविदा मूल्यांकन समिति सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का आवश्यक होने पर सुधार कर सकेगी।
10. उक्त निविदा में वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिये गये दिशानिर्देश प्रभावशाली हैं।
11. निविदा दस्तावेज (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) सहित सभी संचार/पत्राचार पर निविदादाता/नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मोहर लगाई जानी चाहिए।
12. श्रमिक प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे। आवश्यकता होने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की सेवायें जारी रखनी होंगी।
13. किसी भी माह में चार साप्ताहिक अवकाश से अधिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
14. अनुबन्ध अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए श्रमिकों की संख्या आदेशित संख्या से कम/अधिक हो सकती है। अनुबन्ध अवधि में वृद्धि राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 29 व 73 के अनुसार आपसी सहमति से की जा सकेगी।
15. यदि कोई श्रमिक इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोली दाता को लिखित सूचना देकर 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यदि उपलब्ध कराए श्रमिक निरन्तर विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो संवेदक के अनुबन्ध को निरस्त करने का सर्वाधिकारी निदेशक (तकनीकी), आरआरईसी, जयपुर के पास सुरक्षित है।
16. कार्य दिवस में किसी भी श्रमिक की अनुपस्थिति पर संवेदक की उसके स्थान पर अन्य श्रमिक उपलब्ध कराया जाना होगा अन्यथा ऐसी प्रत्येक अनुपस्थिति की अवधि के लिए प्रतिदिन के लिए देय मजदूरी के साथ रूपये 200/-अतिरिक्त कटौती की जाएगी।
17. श्रमिकों के चाल-चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट की प्रति चाहे जाने पर इस विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।
18. संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की निम्नलिखित प्रारूप से सूचना प्रस्तुत करनी होगी :-

क्र.स.	श्रमिक का नाम एवं उम्र	पिता/पति का नाम	निवास पता	इ.पी.एफ., पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक

19. विधिमान्य-निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए निधिमान्य होगी। आपवादिक परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

20. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
21. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित निविदा प्रतिभूति नयी निविदा के लिए निविदा प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी निविदा प्रतिभूति निविदा के पुन आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।
22. असफल निविदा लगाने वालों की निविदा प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल निविदा की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवाने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
23. निविदा लगाने वाले से ली गई निविदा प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समापहृत कर दी जायेगी अर्थात् :-
- (क) जब निविदा लगाने वाला निविदा के खुलने के पश्चात् अपनी निविदा प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है:
- (ख) जब निविदा लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन नहीं करता है।
- (ग) जब निविदा लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहा है:
- (घ) जब निविदा लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (ङ) यदि निविदा लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट निविदा लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिता के किसी उपबन्ध का भंग करता है।
24. सफल निविदा लगाने वाले की दशा में निविदा प्रतिभूति (EMD) की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है (यदि अनुबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि प्रथक से जमा करा दी जाती है)
25. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के असफल निविदादाताओं को शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति (EMD) को तत्परता से लौटा देगी अर्थात्
- (क) सफल निविदा लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या
- (ख) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर।
26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)
- (1) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी।
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट या बैंक चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- (3) यदि निविदा लगाने वाला, जिसकी निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल निविदा लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द भी कर सकेगी या निविदा दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की निविदा लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। ऐसी स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
- (4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत की जा सकेगा।
- (क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उलंघन किया गया।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

27. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-

करार का निष्पादन (Contract Agreement) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसकी स्वीकृति का आशय पत्र निविदा लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में संलग्न प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा निविदाएँ स्वीकार की गईं उनके कुल कार्यादेश (अनुमानित) मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी
 - (ii) निविदा के समय जमा कराई गईं निविदा प्रतिभूति राशि को कार्यसम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में निविदा प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।
 - (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iv) प्रतिभूति राशि के रूप में BC/DD द्वारा जमा करानी होगी।
28. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की खोली गईं वित्तीय बोली में प्राप्त दरों में न्यूनतम दरदाता की दर को स्वीकार किया जावेगा। आवश्यकता होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियत-2013 के नियम 69 के अनुसार negotiation (निगोशियेशन) की कार्यवाही की जा सकेगी।
29. वित्तीय निविदा में अंकित दरों में यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गईं रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय ऋट्टि से संबंधित नहीं हो। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियत-2013 के नियम 64 के अनुसार कार्यवाही की जा कर निर्णय लिया जा सकेगा।
30. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि अंकित दिनांक से एक वर्ष तक तथापि आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 के नियम 29 एवं 73 के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक

निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर

संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

फोन नं.

मोबाईल नं.

ई-मेल पता

तकनीकी निविदा की अनिवार्य शर्तें

1. तकनीकी निविदा निविदादाता अथवा नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक को निगम मुख्यालय जयपुर में खोली जायेगी। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में योग्य पाई गई बोलियों को ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जायेगा। वित्तीय निविदा खोलने की तिथि हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य निविदा लगाने वालों को बाद में सूचित किया जायेगा। जो योग्य निविदादाताओं/नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

2. तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :

1. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे।
2. नवम्बर 2018 की स्वप्रमाणित जीएसटी रिटर्न की प्रति।
3. आयकर पैन (PAN) नम्बर की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जावे एवं कर निर्धारण वर्ष 2018-2019, 2019-20 व 2020-21 में से किन्ही दो वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति।
4. ठेकेदार/संस्था का गत 3 वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-20 एवं 2020-21 में से किन्ही दो वर्षों में प्रति वर्ष फर्म के द्वारा राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में न्यूनतम 10 कार्मिक किराये पर लगाने का कार्य अनुभव प्रस्तुत करना होगा। इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र/आवश्यक दस्तावेज "तकनीकी निविदा" के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. ठेकेदार/संस्था का गत 3 वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-20 एवं 2020-21 में से दो वर्षों में फर्म की बिक्री/टर्न ओवर रूपये 10.00 लाख रूपये होना आवश्यक है। इस हेतु निविदादाता द्वारा अपने सी.ए. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कर्मचारी भविष्य निधी व कर्मचारी राज्य बीमा के लिए फर्म का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होगा।
7. निविदादाता फर्म/ठेकेदार को रूपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्आम्प पेपर पर निम्न शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) निविदादाता फर्म/ठेकेदार पर किसी प्रकार का राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों आदि से संबंधित कोई राशि यथा GST/सर्विस टैक्स/ईपीएफ/ईएसआई आदि बकाया नहीं है।
 - (ख) निविदादाता फर्म/ठेकेदार को किसी भी उपापन संस्था द्वारा गत तीन वर्षों (2018-2019, 2019-20 व 2020-21) की अवधि में विवर्जित (Debar/Black list) नहीं किया गया है।
 - (ग) मैं/हमने निविदा सूचना के क्रम में निगम में कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से लेने के संबंध में अपेक्षित जानकारी हासिल करने के बाद मैं/हमने निविदा के नियम और शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हुए एवं उक्त श्रमिक एनेक्सर 'अ' के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु 1 वर्ष के लिए सहमत हैं। इस निविदा के तहत अनुबन्ध होने पर निविदा अधीन कार्य कराने के लिये मेरे द्वारा नियोजित किये जाने वाले कर्मकार किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के लिये देयता नहीं होंगे।

यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी :-

क्र.सं.	विवरण	रजि संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

9. वित्त (GST) विभाग के परिपत्र दिनांक 30/04/2018 में उल्लेखित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिए गए निम्न दिशा निर्देशों की अनुपालना की जावेगी:-
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 - राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/संशोधन अधिनियम 2014 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। यदि नियमों के अंतर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है कि यदि निविदा अवधि के दौरान उक्त पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो वह पंजीकरण करा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
 - श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
 - संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
 - संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- vi. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- vii. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से सम्बन्धित चालान की प्रति के साथ अंशदाताओं की सूची प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक की आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- ix. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- x. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- xi. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- xii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- xiii. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
- xiv. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तकनीकी निविदा में उपलब्ध किये जाने वाले दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है :- (चेक लिस्ट)

1	निविदा शुल्क राशि 1180/- रूपये जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या दिनांक बैंक नाम शाखा		
2	Undertaking on Stamp paper of Rs.50/-as per annexure-C			
4	क्या निविदादाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ? यदि हाँ तो	पंजीयन क्रमांक व दिनांक		
		पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी		
		विधि, जिसके तहत पंजीकृत है		
		पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक		
5	आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र की प्रति		प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या	
6	आयकर पैन (PAN) नम्बर		प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या	
7	जीएसटी पंजीयन नम्बर		प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या	
8	सितम्बर 2021 की जीएसटी रिटर्न		प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या	
9	गत तीन वित्तीय वर्षों में से किन्ही दो वर्षों में प्रति वर्ष न्यूनतम 10 श्रमिक लगाने के अनुभव का विवरण	वर्ष	राजकीय विभागों स्वायत्तशापी कार्यालय का नाम	निविदा की राशि रूपये
		2018-19		
		2019-20		
		2020-21		
10	टर्न ओवर हेतु गत तीन वित्तीय वर्षों में से किन्ही दो वित्तीय वर्षों में टर्न ओवर 10 लाख का होने का विवरण (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर की वार्षिक राशि रूपये	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या

	प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)		
		2018-19	
		2019-20	
		2020-21	
11	गत तीन कर निर्धारण वर्षों में से किन्ही दो कर निर्धारण वर्षों (Assessment Years) की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि।	कर निर्धारण वर्ष 2018-19	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या
		कर निर्धारण वर्ष 19-20	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या
		कर निर्धारण वर्ष 2020-21	प्रमाण पत्र संलग्न करे पृष्ठ संख्या
12	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970) में पंजीकरण का विवरण		पृष्ठ संख्या
13	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में पंजीकरण का विवरण		पृष्ठ संख्या
14	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में पंजीकरण का विवरण		पृष्ठ संख्या
15	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण का विवरण		पृष्ठ संख्या
16	आय कर (पैन नम्बर) पंजीकरण का विवरण		पृष्ठ संख्या
17	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		पृष्ठ संख्या
18	पूर्ण निविदा प्रपत्र (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके)		

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर
दिनांक
निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व
पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
फोन नं.
मोबाईल नं.
ई-मेल पता

उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की योग्यता के सम्बन्ध में विवरण

सेवा प्रदाता के माध्यम से लेने के लिए कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार होंगे :-

क्र.सं.	पद नाम	अनुमानित पद	योग्यता
1	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	5	12वीं उत्तीर्ण, "ओ" लेवल कोर्स, कार्य का अनुभव न्यूनतम 2 वर्ष, टाईपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनिट (हिन्दी/अंग्रेजी)
2	जूनियर क्लर्क	6	12वीं उत्तीर्ण
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	आठवीं पास (न्यूनतम)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता का नाम

डाक का पता

टेलीफोन नम्बर(दुकान)

(घर)

जयपुर,
दिनांक

निविदा प्रपत्र-द्वितीय
(वित्तीय प्रस्ताव)

(निविदादाता के लेटर-हैड पर प्रस्तुत की जाकर पृथक लिफाफे में सीलबद्ध करें)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संवेदक/सेवाप्रदाता का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नम्बर।

.....
.....
.....

2. किसको सम्बोधित किया -

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम,
ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	चतुर्थ श्रेणी	1. अकुशल -	6552/-		नियमानुसार	नियमानुसार
2.	जूनियर क्लर्क	2. अर्द्धकुशल -	6864			
3.	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क सेवाएँ	3. कुशल -	-			
		4. उच्चकुशल -	8476/-			

3. सर्विस चार्ज की दर प्रतिशत होगी।(शब्दों में.....)

(नोट :- शून्यात्मक अथवा ऋणात्मक दर स्वीकार नहीं होगी)

4. उक्त उद्धत की गई सर्विस चार्ज की दरें अनुबंध अवधि के लिए विधिमान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए विद्यमान निविदा की शर्तों पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

निविदादाता का नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर
दिनांक

निविदादाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर

संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का
नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

फोन नं.

मोबाईल नं.

ई-मेल पता

Schedule-II

FORM OF BID-SECURING DECLARATION
(On Rajasthan Non-Judicial Stamp Paper worth Rs.50/- + Surcharge on Stamp Paper as per rules)

Form of Bid-Securing Declaration

Date:
Bid No. :
Alternative No. :

To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- i. we are not the successful Bidder;
- ii. the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- iii. thirty days after the expiration of our Bid.
- iv. the cancellation of the procurement process; or
- v. the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed:-----
Name :-----
In the capacity of :-----
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated on day of
Corporate Seal .-----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]